न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी वर्षा शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वा संख्या–92 / 2023 (62 / 2019)
द प्रस्तुति दिनांक–10.07.2023 (13.06.2019)
र्णय दिनांक–03.08.2023

1. लालाराम पुत्र भैरू जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. राधाकिशन पुत्र भैरू जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. हनुमान पुत्र भैरू जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. रतिराम पुत्र भैरू जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. सीयाराम पुत्र भैरू जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. सजना उर्फ सरजन पत्नि स्व. भैरू जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. प्रेम पुत्र सुखेदवा जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. पोखर पुत्र सुखदेवा जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. देवकरण पुत्र सुखदेवा जाति माली निवासी ग्राम इस्लामपुरा (नयागांव) पोस्ट गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा, टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक
5. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक
6. तहसीलदार पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

वक्ता वादीगण–श्री हंसराज मेहरा, एड0 ओमप्रकाश यादव
वक्ता प्रतिवादीगण–श्री घीसालाल सैनी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 272 रकबा 06–14 बीघा वाके ग्राम इस्लामपुरा पटवार हल्का गहलोद तह० पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसका अंकन जमाबंदी खाता संख्या 42, पुराना 43 जमाबंदी संवत् 2072–75 में हो रखा है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 03 का 1/6 हिस्सा दर्ज हैं। जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 खातेदार, काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के मध्य उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् रूप से तकास्मा नहीं हो रखा है, जिसके कारण आये दिन मौके पर विवाद की स्थिती बनी रहती है, इस कारण न्यायहित में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत् रूप से तकास्मा किया जाकर वादिया के नाम पृथक से नया खाता कायम कर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित एवं न्याय संगत होने के कारण तकास्मा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर से अधिवक्ता श्री घीसालाल ने वकालतनामा व राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया उक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। वादीगण का विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का है। इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के मध्य मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तकास्मा किया जाकर प्राथमिक डिक्री बनाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर न्यायालय हाजा के पत्रांक 1206 दिनांक 02.07.2021 से तहसीलदार पीपलू से तकास्मा रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 4856 दिनांक 31.12.2021 से न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन दिनांक 30.03.2022 को उभयपक्ष व अधिवक्ता वादीगण/प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका था। तत्पश्चात एक बाजदायरी प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने वाद प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष की सहमति के आधार 500 रूपये की कोस्ट राशि पर दिनांक 14.09.2022 को स्वीकार किया गया। अतः उक्त आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दिनांक 10.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर तकास्मा कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने राजीनामे से सहमत होते

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ए राजीनामे अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी तथा त्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर वाद बत् तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक तकास्मा पोर्ट अनुसार वाके ग्राम इस्लामपुरा पटवार हल्का गहलोद में स्थित भूमि आराजी ख0न0 272/1 रकबा 0.8472 क्ट. वादी संख्या 01 लालाराम पुत्र भैरू जाति माली हिस्सा 1/6 राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोंक, तिवादी संख्या 02 राधाकिशन पुत्र भैरू जाति माली हिस्सा 1/6 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोंक व तिवादी संख्या 03 हनुमान पुत्र भैरू जाति माली हिस्सा 1/6 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोंक, तिवादी संख्या 04 रतिराम पुत्र भैरू जाति माली हिस्सा 1/6 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोंक, तिवादी संख्या 05 सियाराम पुत्र भैरू जाति माली हिस्सा 1/6 राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोंक, तिवादी संख्या 06 सजना उर्फ सरजन पत्नि भैरू जाति माली हिस्सा 1/6 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड गा व भूमि आराजी ख0न0 272/2 रकबा 0.8472 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 प्रेम पुत्र सुखदेवा जाति माली स्सा 1/3 राहिन एस.बी.आई. शाखा टोंक, प्रतिवादी संख्या 02 पोखर पुत्र सुखदेवा जाति माली हिस्सा 1/3 हिन एस.बी.आई. शाखा टोंक, प्रतिवादी संख्या 03 देवकरण पुत्र सुखदेवा जाति माली हिस्सा 1/3 राहिन सेन्ट्रल ऑफ इण्डिया शाखा टोंक के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट सार वादी संख्या 01 ता 06 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय आज क 03.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
(वर्षा शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला–टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner